

आरईसी लिमिटेड

(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड नई दिल्ली 110003
सीआईएन: L4010IDL1969GOI005095

कंपनी सचिव प्रभाग

सं. एसईसी-1/8(1)2019/ 292

दिनांक: 19 सितंबर, 2019


ऋण नीति परिपत्र संख्या 007/2019

विषय: ऋण नीति परिपत्र दिनांक 14 मार्च, 2019 के नोट संख्या 15 को वापस लेना।

सावधि ऋण/अल्पावधि ऋण की उधार दरों की समीक्षा के लिए निदेशकों की उप-समिति ने 27 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी 143वीं बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ 14 मार्च, 2019 के ऋण नीति परिपत्र के नोट संख्या 15 को वापस लेने की मंजूरी दे दी है जो उक्त परिपत्र जारी होने की तारीख यानी 14 मार्च, 2019 से प्रभावी है।

वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक/मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक और कॉर्पोरेट कार्यालय में संस्वीकृति पत्र जारी करने वाले अन्य अधिकारियों से उपरोक्त पर ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है।

Jyoti
Shubhra
Amitabh

भवदीय,

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कार्यालय और निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी
2. कॉर्पोरेट कार्यालय, आरईसी में सभी कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक
3. कॉर्पोरेट कार्यालय, आरईसी में सभी अपर महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक
4. क्षेत्रीय कार्यालयों/पीओ में सभी वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक/मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक, आरईसीआईपीएमटी के प्रभारी एवं राज्य कार्यालय, आरईसी
5. सहायक महाप्रबंधक (आईटी) - आरईसी वेबसाइट और इंटरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्था के लिए
6. सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) - हिंदी में अनुवाद के लिए